न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला अनूपगढ़

अनवान

अजमल खां बनाम बल्लू खां आदि

प्रकरण संख्या :– 65 /2023 GCMS संख्या :– 2023/215

प्रकरण– अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
07.11.2023	आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता श्री श्रवण बिश्नोई के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजि॰ ए॰डी॰ के तलब किया जावे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तहसील घड़साना के चक 3 एमएलडी–बी के प0नं0 68/43 के मु0नं0 29 के किला नं0 1 ता 10 की कुल 2.530 हैक्येटर कमाण्ड कृषि भूमि के मौका की यथा स्थिति बनाकर रखें। संबंधित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस रजि॰ ए॰डी॰ के पेश करे। रजि॰ ए॰डी॰ नोटिस पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63(1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली आयंदा दिनांक 19.12.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी घड़साना	
21.11.23	वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर काबली पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल वाद नोट प्रेस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है अतः यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पूर्व में जारी T.I दिनांक 07.11.23 निरस्त की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अमिता बिश्नोई) RAS.	not present 21.11.2023